

17/3/24

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का



अवलीकन किया गया। प्राथमिक पत्र के

अवलीकन से स्पष्ट है कि उक्त प्राथमिक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तामी  
में जारी हुए

पत्र क्रमांक करोली-8 के म्य. न. 570  
नं. 122 कुल 16 के संबंध में पेश  
किया जाकर जमाबंदी चौकाला से 2019  
से 2022 के अनुसार राजस्व रिबॉर्ड  
पुरस्ती का निवेदन किया गया है।  
प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत्  
2026-79 के अवलोकन व प्रार्थना-पत्र  
के बिंदु सं. 9 से स्पष्ट है कि उक्त  
भूमि का रेफरेंस सं. 21/12 में निर्णय  
द्वारा रेफरेंस स्वीकार किया जाकर  
माननीय न्यायालय में भिजवाया जा चुका  
है। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र द्वारा  
10 वर्षों प्रभावित है साथ ही न्यायालय  
क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस कारण प्रार्थना-  
पत्र इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर  
कामिल दफ्तर किया जाता है।

2/11  
उपरोक्त अधिकारी  
करोली (सजो)